संख्या-13/आर0ई0एफ0-1911/58-1-2014-284/2014

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2014

विषय:- **अनुदान सं0-11 में लेखाशीर्षक "2401-800-03-0306- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें" के अन्तर्गत 30-नान एन0एच0एम0 जनपदों में औद्यानिक विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासकीय व्यय में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि रू0-4,82 हजार के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-121-22/बजट/आर0के0वी0वाई0/2014-15, दिनांक 28-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1431/12-3-2014-100(46)/2008टी0सी0, दिनांक 03-7-2014 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0-4.82 लाख़ (रूपये चार लाख बयासी हजार) मात्र की धनराशि के व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति,

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषि अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश दिनांक 03-7-2014 में निहित शर्तो एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

1- कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 03-7-2014 में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का विवरण:-

(धनराशि हजार रू0 में)

योजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**अवमुक्त धनराशि**
30 नान एन0एच0एम0 जनपदों में औद्यानिक विकास परियोजना	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय- 03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -0306-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें 11-लेखन सामग्री	100
	15-गाड़ी अनुरक्षण	100
	15-व्यवसायिक सेवाओं हेतु भुगतान	100
	42-अन्य व्यय	182
	योग-	482

2- प्रश्नगत योजना हेतु आवंटित उक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- आवंटित धनराशि का उपयोग शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशो के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा एवं उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व शासन/कृषि विभाग/अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- आवंटित धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप, भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। अन्य मद में किया गया व्यय, वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए विभागीय परियोजना (नोडल) अधिकारी/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

5- प्रश्नगत योजना हेतु व्यय की गयी धनराशि की मासिक उपयोगिता रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं कृषि निदेशालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/आर0ई0एफ0-1911(1)/58-1-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि भवन, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लखनऊ।
6- कृषि अनुभाग-3 को उनके शासनादेश संख्या-1431/12-3-2014-100(46)/2008टी0सी0, दिनांक 03-7-2014 के संदर्भ में ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in